साझेदारी

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल

पढ़े चलो, बढ़े चलो

समग्र शिक्षा अभियान

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

श्रीमति किरण कुमारी पासी
राज्य परियोजना निदेशक
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची

दो शब्द

समग्र शिक्षा एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee) को सक्रिय बनाने तथा विद्यालय विकास के कार्यों के संम्पूर्ण दायित्वों के निर्वाहन हेतु संवेदनशील, सजग एवं जागरूक बनाने के लिए लगातार प्रशिक्षण एवं दक्षता निर्माण की आवश्यकता है। समिति के पुर्नगठन के उपरांत नए सदस्यों को विद्यालय के स्वामित्व हेतु समिति को सशक्त बनाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को दो दिवसीय गैर–आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है जिसमें नई शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् समिति को दिए गए कार्य एवं दायित्व की जानकारी, विद्यालय विकास योजना एवं प्रबंधन के प्रावधानों को माड्यूल के माध्यम से आपके समक्ष रखा गया है।

इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् पूर्व के अनुभवों तथा नई शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय वस्तु को सरल एवं स्पष्ट ढंग से रखने का प्रयास किया गया है। इसके लिए विशेषज्ञ समिति की निरंतर बैठक के माध्यम से विषय, विधि एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रस्तुत मॉड्यूल के माध्यम से प्रबंधन समिति को अपने कार्यों एवं दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने की एक कोशिश की जा रही है जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करें।

केवल मॉड्यूल बनाकर ही कार्य खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि जिला स्तर पर इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुरूप योग्य साधन सेवियों के दल को प्रशिक्षित कर उन्हें मॉड्यूल में दी गई विधि एवं प्रक्रिया की जानकारी सुलभ कराना होगा ताकि वे प्रबंधन समिति तक विषय वस्तु को भली–भांति संप्रेषित कर सकें।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण मॉड्यूल "**साझेदारी**" समिति के सदस्यों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए एवं साधन सेवियों की क्षमता निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित।

किरण कुमारी पासी

पृष्ठभूमि

समग्र शिक्षा में समुदाय के सहयोग एवं नवाचारी प्रयोग का एक अवसर प्रदान किया गया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी कार्य का विशेष ज्ञान पाया जाता है। प्रत्येक यदि सभी विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य की सफलता कोई रोक नहीं सकता है। प्रायः हम देखते हैं कि किसी भी प्राकृतिक अथवा अन्य आपदा के समय ग्रामीण आपस में मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सहजतापूर्वक समाधान कर लेते हैं। तो क्या कारण है कि शिक्षा जैसा मौलिक अधिकार/सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने में हम पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? इस विषय पर गहन रूप से विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनेकों प्रयास किये गए हैं, परन्तु पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति अभी तक नहीं हो सकी है। जब तक समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय सहभागिता प्रदान नहीं करता है तब तक लक्ष्य की प्राप्ति असंभव प्रतीत होता है। समग्र शिक्षा के तहत् प्रारंभिक विद्यालयों (1 से 8) एवं उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (9 से 12) में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है ताकि समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त हो एवं सभी 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरी की जा सके।

समुदाय सभी बच्चों को सार्थक गुणवत्ता अधिगम का अवसर उपलब्ध कराने का पर्याप्त सामर्थ्य रखता है, फिर भी बच्चों को सीखने में विस्तृत अवसर प्रदान करने वाले समुदाय को अधिकतर विद्यालय, अपने विकास और प्रबंधन की प्रक्रिया में सक्रिय एवं बराबर के भागीदार के रूप में पहचानने में असफल रहे हैं। ऐसा अनुभव रहा है कि जहां विद्यालय के विकास एवं प्रबंधन प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भूमिका रही है, वहां शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होता है।

समग्र शिक्षा में विद्यालय विकास में समुदाय की सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। इसी के तहत सभी प्रारंभिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) में 16 सदस्यीय एवं उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (9 से 12) में 19 सदस्यीय विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षक आधारित विद्यालय प्रबंधन की जगह समुदाय आधारित प्रबंधन को बढ़ावा मिले। जिससे समुदाय विद्यालय के भौतिक प्रबंधन के साथ–साथ पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों के गुणवत्ता शिक्षण की व्यवस्था कर सके।

विषय–सूची

दो शब्द *i*

पृष्ठभूमि *ii*

प्रशिक्षण के संदर्भ में मुख्य बातें *v*

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा *vii*

पहला दिवस

सत्र–1: परिचय 1

सत्र–2: विद्यालय का आकलन 2

सत्र–3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 5

सत्र–4: विद्यालय प्रबंधन समिति 10

सत्र–5: शिक्षा में गुणवत्ता 12

सत्र–6: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दे 16

सत्र–7: खुला सत्र 20

द्वितीय दिवस

सत्र–1: परिचय 21

सत्र–2: माता–पिता एवं अभिभावकों का बच्चों के अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी में भूमिका एवं अनुश्रवण 21

सत्र–3: विद्यालय विकास योजना 26

सत्र–4: विद्यालय विकास योजना 29

सत्र–5: विद्यालय प्रबंधन समिति की अन्य जिम्मेदारी 30

सत्र–6: खुला सत्र 31

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र 32

विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों का प्रशिक्षणोपरांत मूल्यांकन प्रपत्र 33

प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करने वाले सहायक विशेषज्ञ 34

प्रशिक्षण के संदर्भ में मुख्य बातें

प्रशिक्षण का उद्देश्य

- विद्यालय प्रबंधन समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की जानकारी देना।
- समिति को अपने कार्य एवं दायित्व को करने के लिए जागरूक करना एवं उन्हें जिम्मेदार बनाना।
- समिति को कुशल प्रबंधक के रूप में विकसित करने हेतु कौशल एवं क्षमता का विकास करना।
- परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदानों के बेहतर एवं समुचित उपयोग करने की जानकारी देना।

प्रशिक्षण की रणनीति

प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण निम्नलिखित रूप से आयोजित किये जाएंगेः

- दो दिवसीय गैर–आवासीय प्रशिक्षण विद्यालय/संकुल स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण देना है।
- प्रशिक्षण हेतु सारणी प्रखंडवार बनायी जाए, जिससे अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करने में सुविधा हो।
- प्रशिक्षण के उपरान्त यथाशीघ्र भौतिक उपलब्धि एवं वित्तीय उपलब्धि संबंधी दस्तावेज प्रबंध पोर्टल में अद्यतन किया जाएगा।
- प्रशिक्षक जिन विद्यालयों के प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, उन विद्यालयों से संबंधित आंकड़े यथा– बालपंजी, उपस्थिति, भवन आदि की उपलब्धता, पीने के पानी की व्यवस्था आदि रखे ताकि प्रशिक्षण के दौरान उसकी व्याख्या कर समिति को संवेदनशील किया जा सके।
- प्रशिक्षण स्थल अकादमिक रूप से परिपूर्ण हो इसका ध्यान रखा जाए।
- प्रशिक्षक जिले के अच्छे उदाहरणों (Good Practice) को भी बीच–बीच में समुदाय के बीच रखें।
- प्रत्येक सदस्यों को उनके कार्य एवं दायित्व एवं विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी से संबंधित पम्पलेट/सहायक सामग्री आदि दी जाए। समिति को कम से कम एक एक फोल्डर विद्यालय विकास योजना एवं समिति को प्राप्त होने वाली राशि से संबंधित Print Material दिए जाएं।
- प्रत्येक प्रशिक्षण के अन्त में सदस्यों को विद्यालय के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण (Vision) हेतु प्रेरित किया जाए।

प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण अनुश्रवण/अनुसमर्थन

किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता, सतत् अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन के अभाव में निम्न स्तरीय हो जाता है। फलतः अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। पूर्व का अनुभव बतलाता है कि समिति का प्रशिक्षण कराने का लक्ष्य तो पूरा हो जाता है, किन्तु समिति के सदस्यों में आशानुकूल क्षमता एवं कौशल का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का सतत् अनुश्रवण किया जाय। जिन प्रबंधन समिति का प्रशिक्षणोपरांत नियमित अनुश्रवण किया गया, वहां की समिति अपेक्षा के अनुरूप सजग एवं सक्रिय हुई है। अतः वर्तमान समय में आवश्यक है कि प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षणोपरांत नियमित अनुश्रवण/अनुसमर्थन हो, जिससे कि प्रशिक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। अनुश्रवण/अनुसमर्थन हेतु प्रखण्ड स्तर पर एक अनुश्रवण दल तैयार किया जा सकता है, जो प्रशिक्षण के दौरान एवं प्रशिक्षण के बाद नियमित अनुश्रवण/अनुसमर्थन करे।

प्रबंधन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण का अनुश्रवण निम्न रूप से होगाः

1. जिला परियोजना कार्यालय एवं प्रखण्ड कार्यालय में कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान अनुश्रवण कार्य में लगाया जाए।
2. इनके द्वारा प्रशिक्षण में अनुश्रवण के साथ–साथ अनुसमर्थन भी दिया जाए।

प्रशिक्षण विधि

मॉड्यूल में विषय–वस्तु के साथ विधि एवं प्रक्रिया को विस्तार से बतलाया गया है, फिर भी निम्न बिन्दुओं का अवलोकन किया जा सकता हैः

- एक तरफा संप्रेषण का कम–से–कम प्रयोग करना।
- पूर्णतः सहभागिता आधारित प्रशिक्षण।
- सिर्फ विषय–वस्तु पर संक्षिप्त एवं सारगर्भित व्याख्यान।
- विषय–वस्तु को रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपविधियों का सहारा लेना।
- वीडियो, चित्र विधि, रोल प्ले एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग।
- छोटे–छोटे समूहों में बांटकर विचार–विमर्श, उसकी प्रस्तुति एवं फिर बड़े समूहों में चर्चा तथा सार संक्षेपण।
- वार्तालाप।
- विचार–अभिव्यक्ति/विचार–मंथन।
- प्रतीकात्मक खेल।
- केस–स्टडी।
- गीत/नाटक।
- स्वकार्य।

प्रशिक्षकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें

- प्रशिक्षक स्वयं को प्रतिभागी समझे और सदैव प्रतिभागियों के साथ सहभागी के रूप में कतार में बैठें।
- प्रशिक्षक के द्वारा हमेशा 'हम' या 'हमलोग' का प्रयोग हो, 'मैं' 'तुम' के प्रयोग से यथासंभव परहेज करें।
- समयबद्धता, सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं अनुशासन बनाएं रखें।
- सभी प्रतिभागियों के विचारों का आदर करें, उनके विचारों का प्रतिरोध न करते हुए सहज ढंग से साधन सेवी उनका विश्लेषण करें।
- अनावश्यक वाद–विवाद एवं प्रश्न–उत्तर से बचें।
- प्रशिक्षक बोलने का काम कम एवं सुनने का कार्य अधिक करें।
- प्रत्येक परिस्थिति में समुदाय एवं महिलाओं के प्रति आदर भाव प्रस्तुत करें।
- दैनिक चर्चा में सभी प्रतिभागी शरीक हों, ताकि उनके अंदर की प्रतिभा सामने आ सके, इसका ध्यान आवश्यक है।
- कोई औपचारिक उद्घाटन जरूरी नहीं है।
- प्रशिक्षण में 'आदेश' एवं 'निर्देश' शब्द पर पूरी पाबंदी हो।
- प्रशिक्षण के दौरान नीरसता को दूर करने हेतु आनन्दमयी एवं उपयोगी खेलों का प्रयोग किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण के बीच अगर कोई बाहरी व्यक्ति या अतिथि आ जाए तो उन्हें सम्मान अवश्य देगें, लेकिन उनसे कोई भाषण नहीं दिलवाएंगे और न ही कोई उपदेशक भूमिका निभाने हेतु उन्हें समय देंगे।

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

प्रथम दिवस

समय	सत्र	विषय	उद्देश्य	विधि	अवधि
10:00–10:30 बजे	सत्र–1: परिचय	निबंधन, प्रार्थना, परिचय, प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन	• प्रतिभागियों की उपस्थिति, आकलन एवं दस्तावेजीकरण • प्रशिक्षण का माहौल तैयार करना	• बड़े समूह में प्रचलित विधि	30 मिनट
10:30–12:00 बजे	सत्र–2: विद्यालय का आकलन	वर्तमान में विद्यालय की वर्तमान स्थितियों का आकलन/ सहभागी अनुसंधान के तरीके का प्रयोग/हमारा विद्यालय कैसा हो?	• शिक्षा के मुद्दों को समझना • विद्यालय की स्थितियों का आकलन करना (क्या अच्छा है, बेहतर क्या करना है, समस्याओं के समाधान की दिशा में आने वाली दिक्कतें इत्यादि) • सहभागी अनुसंधान के तरीके का प्रयोग करके गांव में लक्षित क्षेत्रों की पहचान जहां समस्या गंभीर है • विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा 'आदर्श विद्यालय' हेतु सामूहिक विजन का निर्माण करना विद्यालय को नये रूप में देखना	• समूह कार्य • व्यक्तिगत रूप में एक पन्ने में लिखकर बड़े समूह में चर्चा • चार्ट पेपर/ श्यामपट्ट का प्रयोग • सहभागी अनुसंधान तकनीकों का उपयोग जैसे PRA मैप	1:30 घंटा
12:00–01:00 बजे	सत्र–3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020	i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है ii. वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समुदाय की सहभागिता iii. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009	• राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना • राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समुदाय की सहभागिता • निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009	पूर्व के सत्र से निकले बिन्दुओं को आधार बनाते हुए ट्रेनर के द्वारा शिक्षा के कानून के बिंदुओं को लैक्चर विधि के द्वारा सामने रखना	1 घंटा

समय	सत्र	विषय	उद्देश्य	विधि	अवधि
01:00–01:30 बजे	सत्र–4: विद्यालय प्रबंधन समिति	विद्यालय के संचालन में SMC के कार्य, दायित्व एवं सहभागिता	• विद्यालय प्रबंधन समिति पर फिल्म • भूमिका और जिम्मेदारी • विद्यालय किसका: शिक्षा अधिकार कानून में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने से सम्बंधित मूल बिंदुओं की चर्चा	वीडियो (परिचय) एवं सामुदायिक चर्चा	30 मिनट
01:30–02:00 बजे		**भोजनावकाश**			**30 मिनट**
02:00–03:00 बजे	सत्र–5: शिक्षा में गुणवत्ता	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दे	• अधिगम स्तर बढ़ाने में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारी पर फिल्म • शिक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका	वीडियो (सीख) एवं समूह चर्चा	1 घंटा
03:00–04:30 बजे	सत्र–6: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दे	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दे	• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समिति की भूमिका • छात्रों के अधिगम विकास का अनुश्रवण • योगात्मक मूल्यांकन की ट्रैकिंग और वार्षिक कैलेंडर का अनुश्रवण • शिक्षण समय का प्रभावशाली प्रयोग और रिकॉर्ड का कार्यान्वयन • पियर लर्निंग से संबंधित छात्रों की गतिविधियां	समूह चर्चा	1:30 घंटा
04:30–05:00 बजे	सत्र–7: खुला सत्र	खुला सत्र	• प्रतिभागियों के मन में उठे सवालों या सुझावों को लेना। • दिनभर की चर्चा को पुनः स्मरित करना।	प्रचलित	30 मिनट

द्वितीय दिवस

समय	सत्र	विषय	उद्देश्य	विधि	अवधि
10:00–10:30 बजे	सत्र–1: परिचय	प्रार्थना एवं पहले दिन के प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति	• प्रशिक्षण का माहौल तैयार करना	बड़े समूह में प्रचलित विधि	30 मिनट
10:30–12:00 बजे	सत्र–2: माता–पिता एवं अभिभावकों का बच्चों के अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी में भूमिका एवं अनुश्रवण	माता पिता एवं अभिभावकों की बच्चों के अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी में भूमिका एवं अनुश्रवण	i. अभिभावकों की बच्चों के अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी में भूमिका ii. अभिभावकों के द्वारा बच्चों के लालन–पालन में चुनौतियां iii. निगरानी एवं अनुश्रवण • छात्रों का नामांकन की उपस्थिति • छीजित (OoSC) बच्चों का नामांकन की उपस्थिति • फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) • ज्ञान सेतु • स्टूडेंट लर्निंग	चर्चा एवं प्रश्नोत्तरी	1:30 घंटा
12:00–01:30 बजे	सत्र–3: विद्यालय विकास योजना	विद्यालय विकास योजना	i. विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी पर फिल्म • स्कूल की सुविधाओं में भूमिका • प्रबंधन ii. निगरानी एवं अनुश्रवण • स्कूल को अनुदान • बाल देय सुविधाएं • मध्याह्न भोजन योजना • आधारभूत संरचना और साधन iii. योजना बनाने का अभ्यास	वीडियो (सुविधा और सुप्रबंधन) एवं समूह चर्चा अभ्यास	1:30 घंटा

समय	सत्र	विषय	उद्देश्य	विधि	अवधि
01:30–02:00 बजे		**भोजनावकाश**			**30 मिनट**
02:00–03:30 बजे	सत्र–4: विद्यालय विकास योजना	विद्यालय विकास योजना का अभ्यास	• विद्यालय विकास योजना का अभ्यास • साक्षरता	समूह चर्चा अभ्यास	1:30 घंटा
03:30–04:30 बजे	सत्र–5: विद्यालय प्रबंधन समिति की अन्य जिम्मेदारी	विद्यालय प्रबंधन समिति की बाकी जिम्मेदारी	• विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिना और जिम्मेदारी पर फिल्म • सुरक्षा • स्वास्थ्य • कोविड	वीडियो (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कोविड) एवं समूह चर्चा	1 घंटा
04:30–05:00 बजे	सत्र–6: खुला सत्र	खुला सत्र	• पिछले दो दिनों के प्रशिक्षणोपरांत प्रतिभागियों के मन में उठे सवालों या सुझावों को लेना • पूरे सत्र की चर्चा को पुनः स्मारित करना	• प्रचलित विधि • सदस्यों के विचारों को श्यामपट्ट पर अंकित करना	30 मिनट

सत्र-1

पहला दिवस

परिचय

मुख्य विषय : निबंधन, प्रार्थना, परिचय, प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन।

उद्देश्य : मन को एकाग्रचित करना एवं प्रशिक्षण का माहौल तैयार करना।

विधि : कार्यक्रम की शुरूआत प्रार्थना से की जाएगी। प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को गोलाई में खड़ा होने का आग्रह करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरूआत मौन धारण से की जाएगी। उसके बाद प्रशिक्षक मौन धारण करने के संबंध में जानकारी देंगे कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व मन को एकाग्रचित करना आवश्यक है। तत्पश्चात् प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों से दो मिनट का मौन रखने का आग्रह करेंगे। मौन के बाद निम्नलिखित प्रार्थनाओं में से कोई एक प्रार्थना करेंगे:

1. तू ही राम है तू रहीम है .....
2. हर देश में तू हर भेष में तू .....

प्रार्थना के बाद सभी गोलाई में खड़े होकर किसी एक अभियान गीत का सामूहिक गायन करेंगे।
लें मशालें चल पड़े हम .....
घर–घर में शिक्षा का दीप जलाना है .....

प्रार्थना के उपरांत सभी प्रतिभागियों एवं साधन सेवी का परिचय होगा।

गाने के बाद सभी प्रतिभागी अपने–अपने स्थान पर गोलाई में बैठ जाएंगे और अपने अनुभवों का आदान–प्रदान करेंगे तथा प्रशिक्षक द्वारा निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं:

1. आपको कैसा लगा?
2. इस समय आपका ध्यान कहां था?
3. पहले कभी ऐसा किया है?
4. इस गीत से आपको क्या प्रेरणा मिली?

ऊपर के प्रश्नों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षक इससे होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी देंगे तथा ऐसी गतिविधि विद्यालय में कराने के लिए प्रेरित करेंगे।

प्रशिक्षकों हेतु निर्देश – मौन, प्रार्थना एवं अभियान गीत प्रति दिन गाए जाएंगे।

प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन – प्रशिक्षक, समिति सदस्यों को मूल्यांकन प्रपत्र में दिये गये प्रश्नों के जवाब सदस्यों से बारी–बारी से पूछकर भरेंगे/भरवाएं।

सामग्री – प्रार्थना, अभियान गीत की प्रति, मूल्यांकन प्रपत्र।

सत्र–2

विद्यालय का आकलन

मुख्य विषय : वर्तमान में शिक्षा के मुद्दों को समझना/विद्यालय की वर्तमान स्थितियों का आकलन/सहभागी अनुसंधान के तरीके का प्रयोग/हमारा विद्यालय कैसा हो?

उद्देश्य : विद्यालय की स्थितियों का आकलन करना। (क्या अच्छा है, क्या बेहतर किया जाना है, समस्याओं के समाधान की दिशा में आने वाली दिक्कतें इत्यादि) को समझना।

विधि : प्रशिक्षक उपस्थित प्रतिभागियों को विद्यालय के पोषक क्षेत्र एवं विद्यालय का नजरी नक्शा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

प्रक्रिया : प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को छोटे–छोटे समूह में बांट देंगे एवं सभी को चार्ट पेपर उपलब्ध कराएंगे। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन विधि द्वारा विद्यालय के पोषक क्षेत्र का नजरी नकशा चार्ट पेपर में बनाने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।

1. **सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन विधिः** प्रशिक्षक सहभागी ग्रामीण अनुसंधान के तरीकों के बारे में प्रतिभागियों को बताएंगे। प्रशिक्षक समस्याओं की पहचान करने के लिए मानचित्र बनाने जैसी सहभागी अनुसंधान तकनीकों को समझायेगा।

   प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन समुदाय के करीब आने में सक्षम बनाता है, जो योजना बनाने का रास्ता बनाता है। इसकी एक तकनीक ग्राम मानचित्रण है जिसमें गांव का नक्शा गांव के लोगों द्वारा बनाया जाता है।

   इस मानचित्र की मदद से गांव की समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। नजरी नक्शा हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं:

   i. **गांव का नक्शाः** सबसे पहले, गांव की सभी गलियों और पगडंडी को दर्शाता है। इसके बाद उन स्थानों को चिह्नित किया जाता है जहां विभिन्न संस्थान जैसे पंचायत कार्यालय, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और गांव में अन्य सामान्य बुनियादी ढांचे का स्थान यानी पानी की टंकी, हैंड–पंप/सामान्य जल संग्रह बिंदु, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन आदि। फिर, वे सभी घरों को सड़क के अनुसार चित्रित करते हैं। एक बार नक्शा तैयार हो जाने के बाद, प्रतिभागियों को मानचित्र पर उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहें जो शैक्षिक कमजोरियों को दर्शाते हैं जैसे कि कम नामांकन, उच्च ड्रॉपआउट, कम नामांकन, छात्रों के कम शैक्षिक परिणाम आदि।

ii. **शैक्षिक संसाधनः** शिक्षकों, शिक्षित युवाओं, शिक्षित परिवारों जैसे संसाधनों का भी पता लगाएं। यह मानचित्र चुनौतियों का सामना करने वाले क्षेत्रों के साथ–साथ उन स्थानों को भी दिखाएगा जहां सहायता प्रदान की जा सकती है।

प्रतिभागी छोटे समूहों में विभाजित होंगे और सहभागी अनुसंधान वाले नक्शे बनाएंगे जिसमें वे गांव में उन क्षेत्रों की पहचान कर पाएंगे जो शैक्षिक रूप से सबसे कमजोर हैं।

2. हमारा विद्यालय कैसा हो?

जब प्रतिभागी अपने समूह में मानचित्र बना लेंगे तब प्रशिक्षक उनको निर्देश देंगे की वह अपने सपनों के आदर्श विद्यालय की विशेषताओं को गिनाएं और कागज पर नामांकित करें।

प्रशिक्षक समूह में यह चर्चा करेंगे कि समिति ने विद्यालय के किन–किन कार्यों की समीक्षा की है प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर किए गए कार्य पर चर्चा करेंगेः

क्र. सं.	विषय	सूचकांक
1	**विद्यालय का भौतिक वातावरण**	क) **आकर्षक विद्यालयः** चारदिवारी, विद्यालय के नाम के साथ रंग–रोगन, खेल का मैदान, दीवार–लेखन, वृक्षारोपण एवं बागवानी। ख) **मूलभूत सुविधाएंः** स्वच्छ पेयजल, क्रियाशील शौचालय (बालक/बालिका), किचनशेड, रैम्प, अग्निशामक यंत्र, तड़ितचालक, झूला, कूड़ादान (डस्टबिन), झाड़ू, बाल्टी, मग, साबुन, फिनाईल, टावल, कंघी, आईना, घंटी, नोटिस बोर्ड, डिसप्ले बोर्ड, सुझाव एवं शिकायत पेटी आदि। ग) **मूल जानकारियांः** हमारा विद्यालय एक नजर में (विद्यालय का नाम, गांव, पंचायत, संकुल, प्रखण्ड, जिला), शिक्षक पदस्थपना विवरणी, छात्र विवरणी, बाल पंजी का साराश, मध्याह्न भोजन का मेन्यू एवं लोगो, बाल संसद, विद्यालय प्रबंधन समिति, महत्वपूर्ण फोन संख्या, प्रयास के अंतर्गत निर्मित विभिन्न हाउसों की सूची आदि। घ) **अधिगम उन्नयन संसाधनः** पुस्तकालय, बुक बैंक, अधिगम कोना (लर्निंग कॉर्नर), प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, विकास कक्ष (रीडिंग क्लब, म्यूजिक क्लब, स्पोट्स क्लब, बाल पत्रकार आदि)। ङ) **अभिलेख की उपलब्धताः** रोकड़ पंजी, उपस्थिति पंजी, बालपंजी, पुस्तक वितरण पंजी, पोशाक वितरण पंजी, साईकिल वितरण पंजी, छात्रवृत्ति पंजी, विद्यालय रिर्पोट कार्ड, मध्याह्न भोजन पंजी एवं मध्याह्न भोजन स्वाद पंजी, छात्र प्रोफाइल, विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक पंजी, गार्ड फाईल, अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन पंजी, आदि।

क्र. सं.	विषय	सूचकांक
2	**शैक्षणिक प्रक्रियाएं** 	क) **सफाई एवं स्वच्छता:** • वर्ग कक्ष एवं विद्यालय परिसर की सफाई। • शौचालय की सफाई। • पेयजल की व्यवस्था। ख) **प्रार्थना सभा:** प्रार्थना एवं भारत का संविधान (प्रस्तावना पाठ), दैनिक समाचार पत्र के मुख्य बिन्दुओं को पढ़ना, नियमित बच्चों को प्रोत्साहित करना, हाउस की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत सफाई एवं स्वच्छता की जांच बाल संसद द्वारा तथा बच्चों की रचनात्मकता (कविता, कहानी चित्र, समाचार) का प्रदर्शन आदर एवं प्रोत्साहन। ग) **उपस्थिति:** • बच्चों द्वारा स्वयं उपस्थिति दर्ज करना (ईमानदारी, पारदर्शिता एवं नेतृत्व) • स्वयं मूल्यांकन की दक्षता। • विश्लेषण क्षमता।
3	**शिक्षण सहयोग व्यवस्था** 	क) **विद्यालय प्रबंधन समिति का सहयोग:** • बैठक में नियमित उपस्थिति एवं चर्चा में भाग लेना। • विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) निर्माण में सहयोग। • नामांकन नियमित उपस्थिति, पोशाक वितरण, छात्रवृति वितरण एवं अन्य विद्यालयी व्यवस्था में सक्रिय सहयोग। • विद्यालय के आय–व्यय का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन। ख) **अभिभावक शिक्षक बैठक व सहयोग:** • बच्चों की अधिगम प्रगति द्वारा प्रत्येक बच्चे का अधिगम स्तर से अभिभावकों को अवगत कराना एवं निराकरण हेतु सामूहिक प्रयास करना। ग) **माता समिति का सहयोग:** • बच्चों की नियमित उपस्थिति। • मध्याह्न भोजन के नियमित एवं सूचारू संचालन में सहयोग। • खाद्य पदार्थो की खरीदारी में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना। • स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण को सुनिश्चित करना। • बाल संसद का सहयोग। घ) **बाल संसद का सहयोग:** • विभिन्न विद्यालीय व्यवस्था के सफल संचालन में सक्रिय सहयोग। • बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहयोग।

अंत में बड़े समूह में चर्चा करके सर्व सम्मति से प्रतिभागी एक साझा सपना तैयार करेंगे।

सत्र-3

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

मुख्य विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है एवं वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समुदाय की सहभागिता

उद्देश्य :
i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार समुदाय, शिक्षक, स्थानीय प्राधिकार की भूमिका को समझना।
ii. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान को समझना।

विधि : लैक्चर विधि

प्रक्रिया : प्रतिभागियों से पूछा जाये की उन्हें शिक्षा नीति के बारे में जानकारी है या नहीं। फिर उनको जानकारी प्रशिक्षक लेक्चर विधि द्वारा दी जाए। प्रशिक्षक के लिए अनिवार्य है की वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई विस्तृत जानकारी को पढ़कर आये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

- एक व्यापक ढांचा है जो देश में शिक्षा की दिशा तय करता है।
- इससे पहले की शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी।
- इसे एक प्रक्रिया की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए।
- नई शिक्षा नीति में GDP का 6 प्रतिशत हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

नया पैटर्नः नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव की जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता हैः

i. पांच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) – 3 साल का प्री–प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
ii. तीन वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज (Preparatory Stage)
iii. तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण – ग्रेड 6, 7, 8 और
iv. 4 वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण – ग्रेड 9, 10, 11, 12

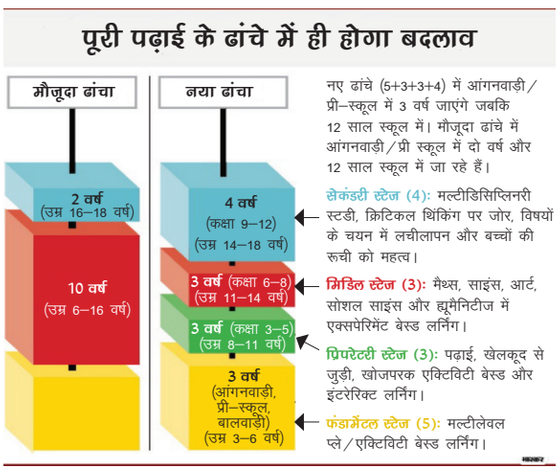

नए स्तर के आयाम

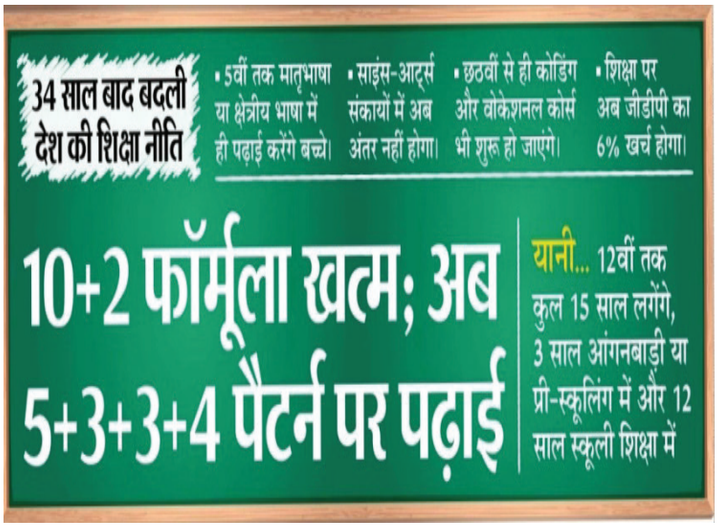

- मौजूदा सिस्टम में 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 में आता है। इसमें कोई बदलाव नहीं।
- 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ध्यान होगा।
- कक्षा 5 के बच्चे को भाषा और गणित के साथ उसको अपने स्तर का सामान्य ज्ञान होगा।
- खेल–खेल में सिखाया जाएगा।
- कक्षा 6–8 तक के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण होगा।
- कक्षा 9–12 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर होगा। इससे जब छात्र 12वीं पास करके निकलेगा, तो उसके पास एक ऐसा कौशल होगा, जो आगे चलकर आजीविका के रूप में काम आ सकता है।
- कक्षा 3, 5 और 8 में परीक्षाएं होंगी।
- कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। इनका स्वरूप बदल जाएगा।
- कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग का विकल्प रहेगा ताकि स्कूलों से बाहर रह रहे छात्रों को फिर पढ़ाई से जोड़ा जा सके।

इसके साथ–साथ, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, वोकेशनल कोर्सेस, वयस्क साक्षरता और आजीविका प्रोग्राम प्रस्तावित है।

सभी को पढ़ाई पर बराबरी से हक मिले इसके लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूह (SEDG) पर विशेष जोर रहेगा।

Early Childhood care and Education (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा) में बहुत बदलाव।

सभी विषयों में पाठ्यक्रम कोर कंसेप्ट तक सीमित होंगे

क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड टीचिंग और लर्निंग मेथड पर फोकस

किताबी ज्ञान की बजाए इंटरेक्टिव टीचिंग को बढ़ावा

क्रिएटिव और मनोरंजक एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाई

मातृभाषा पर जोर

- नई शिक्षा नीति में कम से कम कक्षा 5 तक बच्चों से बातचीत का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा रहेगी।
- छात्रों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को विकल्प के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। त्रि–भाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा।
- पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प होंगे। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समुदाय की सहभागिता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समुदाय की सहभागिता को निम्नलिखित मायनो में देखा गया है:

1. **आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता:** सीखने को बढ़ावा देने के लिए तत्काल और आवश्यक शिक्षा प्रणाली की पहली प्राथमिकता है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो जानी चाहिए ।

2. **स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना:** स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे नामांकित हैं और वे नियमित विद्यालय जा रहे हैं। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल लाने और आगे के बच्चों को बीच में छोड़ने से रोकने के लिए समग्र रूप से दो पहल की जाएंगी:

   i. **शिक्षक का चयन:** यह सुनिश्चित करने की जरुरत है कि उत्कृष्ट छात्र शिक्षण पेशे में प्रवेश करें – विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से। उनके लिए गुणवत्ता पूर्ण 4 वर्षीय बी.एड. का अध्ययन करने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में योग्यता–आधारित छात्रवृत्तियां स्थापित की जाएंगी।

   ii. अकादमिक वातावरण और संस्कृति
   - स्कूलों के अकादमिक वातावरण और संस्कृति को बदलने का प्राथमिक लक्ष्य है कि शिक्षक अपने काम को प्रभावी ढंग से कर पाएं।
   - माता–पिता और अन्य प्रमुख स्थानीय हितधारकों के सहयोग से, स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों सहित स्कूलों/स्कूल परिसरों के शासन में शिक्षक भी अधिक शामिल होंगे।

3. **समान और समावेशी शिक्षा:** सभी के लिए सीखने का मौका
   i. लक्षित छात्रवृत्तियां और योजनाएं माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सफल रही हैं।
   ii. इन नीतियों और योजनाओं को पूरे देश में महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया जाना है।
   iii. महिलाओं के साथ सभी कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को अवसर प्रदान करना।
   iv. विकलांग बच्चों के संबंध में उनके पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा।
   v. उपरोक्त सभी नीतियां और उपाय सभी सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों के सदस्यों के लिए पूर्ण समावेश और समानता की धारणा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

4. **स्कूल परिसरों/संकुल के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी प्रशासन**
   i. विद्यार्थियों की कम संख्या वाले विद्यालयों का समेकन आवश्यक है।
   ii. स्कूल परिसर/संकुल का उद्देश्य संकुल में अधिक संसाधन दक्षता और अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन और स्कूलों का प्रबंधन होगा।
   iii. एक योजना पर काम करने की संस्कृति, दोनों अल्पकालिक और दीर्घकालिक, ऐसे परिसरों/समूहों के माध्यम से विकसित किया जाना है।

5. **स्कूली शिक्षा के लिए मानक-निर्धारणः** सरकारी–स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होगा ताकि यह माता–पिता के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन जाए।

6. **प्रौढ़-शिक्षा और आजीवन शिक्षाः** वयस्क शिक्षा में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

7. **भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देनाः** लुप्तप्राय और सभी भारतीय भाषाओं और उनसे जुड़ी समृद्ध स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भारत में सभी भाषाओं और उनकी संबद्ध कला और संस्कृति को एक वेब–आधारित प्लेटफार्म/पोर्टल/विकी के माध्यम से उल्लेखित किया जाएगा।

इसके बाद प्रशिक्षक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के बारे में बताएंगे एवं क्योंकि उसके प्रावधान समिति के किए गए कार्य की भूमिका से जुड़े हैं, इस पर चर्चा करेंगेः

क्र.सं.	प्रावधान	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE)
1	नामांकन एवं ठहराव	निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन व ठहराव, एक मौलिक अधिकार है।
2	अनुदानित गैर–सरकारी विद्यालयों में नामांकन	प्राप्त वार्षिक वित्तीय अनुदान के अनुपात में, परन्तु कम से कम 25 प्रतिशत अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना होगा।
3	निजी क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकन	अपने विद्यालय की प्रवेश कक्षा में कुल छात्र संख्या के कम–से–कम 25 प्रतिशत सीट पर उस विद्यालय के आस–पास के (पोषक–क्षेत्र) के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को नामांकित करेंगे तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु सरकार द्वारा विद्यालय को अधिनियम के अनुरूप राशि उपलब्ध करायी जाती है।
4	छात्र – शिक्षक अनुपात I – V VI – VIII	 1:30 1:35
5	विद्यालय कार्य दिवस – शैक्षणिक वर्ष (अप्रैल–मार्च) निर्धारित न्यूनतम कार्य दिवस/घंटेः I–V = 200 दिवस/800 घंटे VI–VIII = 220 दिवस/1000 घंटे	अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना वैधानिक अनिवार्यता है।

क्र.सं.	प्रावधान	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE)
6	सामुदायिक भागीदारी	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति गठन/पुर्नगठन का प्रावधान है।
7	आधारभूत सुविधाएं	नये विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्गकक्ष, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय, रसोईघर के अतिरिक्त भंडार कक्ष, खेल का मैदान, खेल–सामग्री, चारदीवारी अथवा घेराबंदी की व्यवस्था करना।
8	योजना निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन	विद्यालय स्तरीय योजना निर्माण एवं उसको क्रियान्वित करना विद्यालय प्रबंधन समिति का दायित्व है।
9	अन्य सुविधाएं	सभी 6–14 आयुवर्ग के बच्चों को (कक्षा I से VIII तक) निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक, पोशाक देने का प्रावधान है।

प्रशिक्षक प्रश्नोत्तरी चर्चा को समेटते हुए प्रतिभागियों को पुनः स्मारित कराना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् माता–पिता, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय स्तर पर गठित समिति, स्थानीय प्राधिकार, संबंधित विभाग एवं सरकार की वैधानिक अनिवार्यता है कि 5–18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। इसको सुनिश्चित करने लिए सभी विद्यालयों में प्रबंधन समिति गठित की गई है। अतः उनकी यह वैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने पोषक क्षेत्र के 5–18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराएं।

सत्र–4

विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)

मुख्य विषय : विद्यालय के संचालन में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के कार्य, दायित्व एवं सहभागिता

उद्देश्य : विद्यालय किसका: शिक्षा अधिकार कानून में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने से संबंधित मूल बिन्दुओं पर चर्चा।

विधि : वीडियो फिल्म (परिचय)

फिल्म का उद्देश्य : विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय का प्रबंधन करना, विद्यालय की सब गतिविधियों की ज़िम्मेदारी लेना जिससे कि विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो।

प्रक्रिया : प्रशिक्षक प्रतिभागियों को विद्यालय प्रबंधन समितियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर आधारित वीडियो फिल्म (परिचय) दिखाएंगे।

वीडियो खत्म होने के बाद वह प्रतिभागियों से इस बात पर चर्चा करने के लिए कहेंगे कि उन्होंने फिल्म से क्या सीखा।

- समिति में कौन–कौन सदस्य हैं?
- समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है?
- समिति का मुख्य कार्य क्या है?
- विद्यालय के पोषक–क्षेत्र में कौन–कौन से टोले/मोहल्ला उपस्थित हैं।
- समिति क्या–क्या कार्य सबसे पहले करना चाहती है?

सत्र के अंत में प्रशिक्षक **विद्यालय के संचालन में समुदाय की भागीदारी को लेकर विभिन्न भागीदारों के साथ कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं/जिम्मेदारियों** की जानकारी देगा:

अभिभावक के स्तर पर	• अनामांकित, छीजित एवं अप्रवासी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराना। • अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों एवं बाल मजदूर के अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करना एवं नियमित उपस्थिति हेतु परामर्श देना। • बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार हेतु अपना सहयोग देना। • बच्चों की प्रगति को लेकर शिक्षक से वार्ता करना। • कमजोर बच्चों को चिन्हित करना एवं उनके लिए अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना।
बच्चों के स्तर पर	• बच्चों की उपस्थिति की ट्रेकिंग। • बच्चों के साथ सह–शैक्षणिक गतिविधियों का योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। • बाल संसद एवं अन्य बाल क्लबों की नियमित बैठक में भागीदारी। • बच्चों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत होना।
शिक्षक के स्तर पर	• शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समन्वय स्थापित करना। • घंटेवार एवं पाठ्य तालिका के अनुसार पढ़ाई सुनिश्चित कराना। • टीएलएम एवं टीएलइ के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करना। • रूचिकर शिक्षा के लिए शिक्षकों के साथ मिलकर शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक गतिविधि तैयार करना एवं उसका क्रियान्वयन करना। • बच्चों का नियमित मूल्यांकन करना।
स्थानीय प्राधिकार के स्तर पर	• विद्यालय में शिक्षक–छात्र अनुपात पर आधारित शिक्षकों की बहाली की मांग। • समय–समय पर पीआरआई को विद्यालय की स्थिति से अवगत कराना। • पंचायती राज संस्थान के सदस्यों (PRI) के साथ लेखा–जोखा का प्रस्तुतिकरण। • विद्यालय में ढांचागत व्यवस्था एवं आरटीई के प्रावधानों के तहत विद्यालय में सभी प्रावधानों को सुनिश्चित कराने हेतु सहयोग लेना।
विभागीय स्तर पर	• संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालय को मॉडल एवं आकर्षक बनाना। • विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं की मांग संबंधित विभाग से करना एवं मांग की प्रतिपूर्ति के लिए विभाग पर दवाब बनाना।

आज के सत्र में प्रशिक्षक के द्वारा प्रतिभागियों के मन में उठे सवालों या सुझावों को लेंगे एवं पूरे सत्र की चर्चा को पुनः स्मारित कराना।

i. विद्यालय प्रबंधन समिति का महत्वपूर्ण कार्य 5–18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूर्ण कराना है।

ii. पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।

भोजनावकाश

सत्र-5

शिक्षा में गुणवत्ता

मुख्य विषय : शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी

उद्देश्य : शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी समझना

विधि : वीडियो फिल्म (सीख)

प्रक्रिया :

सबसे पहले प्रतिभागियों को सीख नामक फिल्म दिखाई जाएगी। इस फिल्म से प्रतिभागी को पता चलेगा की शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है। फिल्म के बाद प्रश्नों का जवाब दें और आगे बढ़े। फिल्म के प्रदर्शन के बाद प्रशिक्षक फिल्म पर चर्चा कराएंगे।

- प्रस्तुत वीडियो में सीख का अर्थ क्या है?
- पोषक क्षेत्र के बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए समिति क्या कर रही है?
- विद्यालय से बच्चों का छीजन अभी तक रुका नहीं है। अभी भी छात्र अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ दे रहे हैं। बताइए किन कारणों से छात्र छीजित हो जाते हैं?
- छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एसएमसी सदस्य कौन से कदम ले सकते हैं?
- वीडियो मे बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए गतिविधियों पर जोर दिया गया है। इसकी आवश्यकता क्यों है? इस संबंध में एसएमसी क्या कर सकती है?

प्रशिक्षक विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य एवं दायित्वों को विस्तार से इस प्रकार बताएंगेः

1	विद्यालय में सभी बच्चों का दाखिला व निरंतर उपस्थिति रहे, सुनिश्चित करना	
2	निःशक्त/दिव्यांग बच्चों को दाखिला व अन्य सुविधा मिले, सुनिश्चित करना	
3	विद्यालय में साफ–सफाई रहे, सुनिश्चित करना	
4	बच्चों के लिए पढ़ने व सीखने का अच्छा वातावरण सुनिश्चित करना	
5	बच्चों को मिड–डे मील में पौष्टिक आहार मिले, सुनिश्चित करना	

6	बच्चों को सही मात्रा व सही समय पर मिड–डे मील मिले, सुनिश्चित करना	
7	विद्यालय में साफ पीने की पानी की व्यवस्था हो, सुनिश्चित करना	
8	अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना	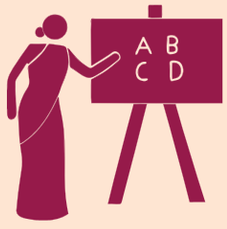
9	माता–पिता को बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताना	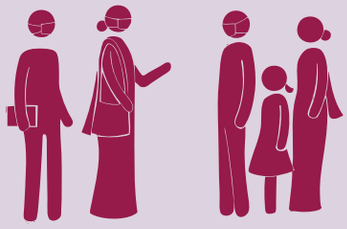
10	माता–पिता को बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताना	
11	समुदाय को बच्चों के अधिकारों के बारे में बताना	

12	विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना	
13	विद्यालय की जरूरतों को ध्यान में रखकर विद्यालय योजना तैयार करना	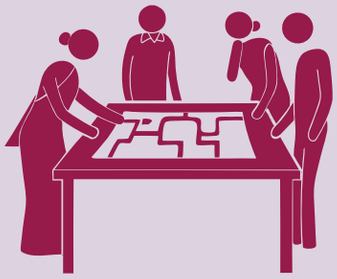
14	एसएमसी के खाते का रख–रखाव देखना	
15	सभी फण्ड का सही उपयोग हो, यह देखना	
16	विद्यालय में हर वर्ष होने वाले खर्च की सूची बनाना	

इसके अतिरिक्त समिति के अन्य कार्यों की भी जानकारी देंगेः

i. प्रत्येक माह की 25 तारीख को समिति की मासिक बैठक में भाग लेना।
ii. विद्यालय का कोई शिक्षक निजी शिक्षण कार्य में नहीं लगे, इसका कार्यान्वयन करना।
iii. किसी भी बालक के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन होने पर, समिति इसको स्थानीय प्राधिकार की जानकारी में लाना।
iv. यह समिति समग्र शिक्षा के तहत् विद्यालय के अन्तर्गत हो रहे सभी कार्यक्रमों का गहन अनुश्रवण करना एवं सुनिश्चित करना कि राशि का सही सदुपयोग हो रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता को अविलम्ब प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रतिवेदित करना।

सत्र-6

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दे

मुख्य विषय : छात्रों की अधिगम प्रगति का अनुश्रवण

उद्देश्य : छात्रों की अधिगम प्रगति के अनुश्रवण की जानकारी होना

विषय की समझ : छात्रों की अधिगम प्रगति की जांच के लिए बी.आर.पी./सी.आर.पी. स्पॉट टेस्टिंग करते हैं. किसी कक्षा में जाकर रेंडम तरीके से 3 बच्चों की जांच करते हैं और प्राप्त आकड़ें ई– विद्या वाहिनी पर अपलोड करते हैं। मासिक जांच भी बच्चों का अधिगम प्रगति के अनुश्रवण का एक तरीका है, शिक्षक हर माह मासिक जांच करते हैं। शिक्षक सप्ताह के अंत में शनिवार को क्विज का भी आयोजन करते है। कई शिक्षक कक्षा में अधिगम प्रगति प्रश्नोतरी से जांच करते हैं और उसका रिकार्ड रखते हैं। छः माह पर होने वाली SA-1 एवं SA-2 मूल्यांकन किया जाता है तथा उसका भी रिकार्ड रखते हैं. वह भी अधिगम प्रगति की जांचने का तरीका बन सकता है।

गतिविधि : प्रशिक्षक लर्निंग आउटकम की प्रति वितरित करेगा। प्रतिभागियों को (लर्निंग आउटकम) अधिगम प्रतिफल की एक प्रति दें और उस पर चर्चा कराएं कि अधिगम प्रतिफल में क्या–क्या लिखा हुआ है। अधिगम प्रतिफल में समझ विकसित करने के लिय चर्चा कराएं। अधिगम अधिगम प्रतिफल की प्रति पढ़ने के पश्चात जो समझ बनी उस पर प्रस्तुति देंगे।

प्रक्रिया : प्रशिक्षक अधिगम प्रगति के विषय पर मुख्य बिंदु बताएंगे जैसे – अधिगम न्यूनता, अधिगम उद्देश्य आदि। अधिगम प्रगति का अनुश्रवण कैसे करेंगे, स्पोर्ट् टेस्टिंग कर अधिगम प्रगति पर डेमोंसट्रेशन देंगे। डेमोंसट्रेशन को अन्य प्रतिभागियों को भी करने के लिए बताएंगे।

अन्य गतिविधि जैसे : प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को प्रतिभागियों के बीच बाटेंगे। कार्ड में दिए गए बिंदुओं पर समझ बनाएंगे। वीक प्वाइंट और स्ट्रांग प्वाइंट (कमजोर पक्ष और मजबूत पक्ष) की समझ बनाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे। सीआरपी किस प्रकार से विद्या वाहिनी में एंट्री करते हैं, बताएंगे।

मुख्य विषय : योगात्मक मूल्यांकन की ट्रैकिंग और वार्षिक कैलेंडर का अनुश्रवण।

उद्देश्य : विद्यालय में अधिगम की जांच हेतु योगात्मक मूल्यांकन एवं ट्रैकिंग और वार्षिक कैलेंडर का अनुश्रवण करना।

विषय की समझ :

प्रशिक्षणार्थियों को बताया जायेगा कि वर्ष में दो बार योगात्मक मूल्यांकन का आयोजन होता है। योगात्मक मूल्यांकन के पश्चात् रिपोर्ट कार्ड दी जाती है। पैरंट टीचर मीटिंग में रिपोर्ट कार्ड देने का प्रचलन है। प्रशिक्षण अवधि में रिपोर्ट कार्ड के सभी बिंदुओं पर चर्चा करने की जरूरत है। यह भी चर्चा करने की जरूरत है कि बी.आर.पी. – सी.आर.पी. किस प्रकार से विद्या वाहिनी में इसको अपलोड करते हैं। हर माह के 25 तारीख को एसएमसी की बैठक में SA–1 और SA–2 को रिपोर्ट कार्ड दिखलाया जाए। पूर्व के रिकार्ड और वर्तमान के रिकार्ड में भी तुलना की जाए ताकि पता चल सके एक बच्चे की अधिगम प्रगति कितनी हुई है।

विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हेतु वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है। इस वार्षिक कैलेंडर में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक हर माह का चर्चा के लिए विषय निर्धारित किया गया है। अभिभावक शिक्षक बैठक के बिंदु भी दिए गए हैं, हर माह के लिए दिए गए विषयों पर विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्यों की समझ बढ़ाना आवश्यक है। उस विषय पर चर्चा होने से विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्यों का ज्ञान वर्धन होगा। प्रत्येक माह में जो भी गतिविधि हो उन गतिविधियों का रिकार्ड विद्यालय में हो। समिति के सदस्य उन गतिविधियों का रिकार्ड को देखेंगे और एक कॉपी प्राप्त करेंगे।

प्रक्रिया : विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक हेतु वार्षिक कैलेंडर 2022–23 को प्रशिक्षण सत्र में चर्चा करेंगे। इसकी एक प्रति सभी सदस्यों के बीच बांटी जाए। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक वार्षिक कैलेंडर में दिए गए चर्चा के विषय पर चर्चा करेंगे। प्रतिभागियों से प्राप्त सलाह को चार्ट पेपर पर लिखेंगे और अंत में प्राप्त बिंदुओं को पढ़कर सुनाएंगे। कैलेंडर के चर्चा के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को योगात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया जायेगा। रिपोर्ट कार्ड की एक प्रति दिखाई जाएगी और उससे छात्र के शैक्षणिक वस्तु स्थिति के बारे में बताया जायेगा इस रिपोर्ट कार्ड के जरिये अभिभावक अपने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड से तुलना करेंगे और अपने छात्र की प्रगति का आकलन करेंगे।

शिक्षण समय का प्रभावशाली प्रयोग और रिकॉर्ड का कार्यान्वयन

मुख्य विषय : शिक्षण समय का प्रभावशाली उपयोग रिकॉर्ड का कार्यान्वयन

उद्देश्य : शिक्षण समय का प्रभावी ढंग से किस प्रकार उपयोग होना चाहिए की जानकारी प्राप्त करेंगे।

विधि : समूह चर्चा

विषय की समझ :

विद्यालय में शिक्षण का समय निर्धारित है। बच्चे खास समय के लिए विद्यालय में आते हैं उनका समय बर्बाद न हो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कई शिक्षक देर से विद्यालय आते हैं तो समय बर्बाद हुआ। कई छात्र विद्यालय देर से आते हैं फिर समय बर्बाद हुआ। एमडीएम के समय के दौरान ज्यादा समय लगा फिर वहां पर समय बर्बाद हुआ। विद्यालय समय से खुलना, समय से बंद करना जरूरी है। समय से सारा काम हो तो फिर शिक्षण समय का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक 15 मिनट पूर्व ही विद्यालय परिसर में आ जाए। बच्चे भी 15 मिनट पूर्व विद्यालय परिसर में आ जाए, जो भी विषय की पढ़ाई हो रही हो उस पर फोकस करने की जरूरत है। शिक्षक जब कक्षा में जाएं तो अपने साथ पाठय् योजना (Lesson Plan) लेकर जाए।

पाठ्य योजना (Lesson Plan) की एक प्रति प्रतिभागियों को दिखाएंगे। टी.एल.एम. का प्राप्त समय में भरपूर उपयोग करेंगे। नवाचारी तरीकों का भरपूर प्रयोग करेंगे। प्रतिभागी ज्ञान के आधुनिक तरीकों से परिचित रहेंगे। टाइम टेबल बना पाएंगे। पाठय् योजना एक शिक्षण अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिस प्रकार से डॉक्टर ऑपरेशन करने से पूर्व प्लान करता है, उसी प्रकार से शिक्षक को शिक्षण करने से पूर्व योजना बनाना आवश्यक है ताकि समय की बर्बादी कम से कम हो। पाठ्य योजना में निम्नवत् योजना होती है:

- विषय क्या होगा
- उद्देश्य क्या होगा
- अधिगम का प्रतिफल क्या होगा
- गृह कार्य क्या होगा
- वर्ग कार्य क्या होगा
- वर्ग में किस प्रकार से बच्चे लिखेंगे
- महत्वपूर्ण तर्क (Critical Thinking) क्या होगा
- बच्चों के अंदर रचनात्मकता का विकास कैसे होगा
- बच्चे प्रयोग कैसे करेंगे

यह सारी चीजें रिकॉर्ड में लिखी रहती हैं। शिक्षक उसी रिकॉर्ड के आधार पर कक्षा में शिक्षण करते हैं। यदि शिक्षक अपनी योजना में सफल नहीं हुआ तो दूसरा शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) का प्रयोग करते हैं, ताकि कक्षा के सारे बच्चे उस विषय को अच्छी तरह समझ जाए। किसी प्रकार की भी शंका न रह जाए। शिक्षक का उद्देश्य होता है कि सभी छात्रों का अधिगम बढ़े। यह तभी संभव है जब शिक्षक के पास रिकॉर्ड हो।

विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्य इस काम को देख सकते हैं कि किस शिक्षक का रिकॉर्ड तैयार है या नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की मीटिंग के दिन प्रधानाध्यापक यह बताएंगे कि इस माह में रिकॉर्ड पर कितने हस्ताक्षर कर पाएं। प्रधानाध्यापक के पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए और इस रिकार्ड को विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की मीटिंग में प्रस्तुत करें। इस प्रकार से पाठ्य योजना (Lesson Plan) विद्यालय में शिक्षक बना रहे हैं। इसकी जानकारी हो और बच्चों का अधिगम स्तर विकसित हो।

प्रशिक्षक प्रशिक्षण की अवधि में पाठ्य योजना (Lesson Plan) की समझ बनाएंगे कि बीआरपी, सीआरपी किस प्रकार से पाठ्य योजना (Lesson Plan) को ट्रैक करते हैं। प्रधानाध्यापक अपने रजिस्टर में नोट करते हैं कि किन–किन शिक्षकों के द्वारा पाठ्य योजना (Lesson Plan) बनाई गई है, जो शिक्षक पाठ्य योजना (Lesson Plan) नहीं बनाते हैं उस दिन उसे बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानाध्यापक प्रेरित करेंगे कि हर हालत में हर शिक्षक पाठ्य योजना (Lesson Plan) बनाएं। इन बातों पर प्रशिक्षक चर्चा करेंगे।

प्रश्न – रिकॉर्ड के मुख्य बिंदु क्या–क्या हैं?

पियर लर्निंग से संबंधित छात्रों की गतिविधियां

मुख्य विषय : पियर लर्निंग से संबंधित छात्रों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।

विधि : समूह कार्य

विषय की समझ :

पियर लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र अपने सहपाठियों के साथ अधिगम बढ़ाते हैं। बच्चे आपस में मिलकर किसी चीज पर समझ बढ़ाते हैं। इसमें शिक्षकों का रोल एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है और बच्चे आपस में ही किसी विषय की समझ बना लेते हैं। इसमें कई प्रकार की गतिविधि होती हैं जैसे क्वीज, प्रोजेक्ट कार्य, डिबेट, साथ में बैठना, समूह चर्चा करना, एक दूसरे की कॉपी जांच करना, गलतियों को ढूंढना, साथ मिलकर मंडल बनना आदि।

प्रक्रिया : प्रशिक्षक प्रतिभागियों के बीच कई प्रकार के छात्रों से संबंधित गतिविधियों को बताएंगे जैसे साथ में बैठना, समूह चर्चा, आपस में कॉपी का चेक करना, भाषा से संबंधित खेल, कक्षा से बाहर के खेल। इसके पश्चात् प्रशिक्षक प्रतिभागियों से पूछेंगे कि किस–किस प्रकार की गतिविधियां संभव है जो पियर लर्निंग को बढ़ावा देती हैं। उन गतिविधियों को चार्ट पर लिखते जाएंगे और बाद में उन गतिविधियों पर चर्चा करेंगें।

सत्र-7

खुला सत्र

i. **प्रतिभागियों के मन में उठे सवालों या सुझावों को लेना।**

ii. **दिनभर की चर्चा को पुनः स्मरित करना।**

सत्र–1

द्वितीय दिवस

परिचय

मुख्य विषय : प्रार्थना एवं पहले दिन के प्रशिक्षण की पुनरावृति

उद्देश्य : प्रशिक्षण का माहौल तैयार करना

विधि : बड़े समूह में प्रचलित विधि

सत्र–2

माता–पिता एवं अभिभावकों का बच्चों के अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी में भूमिका एवं अनुश्रवण

मुख्य विषय : माता–पिता एवं अभिभावकों का बच्चों के अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी में भूमिका और बच्चों के लालन–पालन से संबंधित चुनौतियां एवं अनुश्रवण

उद्देश्य :

1. अधिगम स्तरः
   i. माता–पिता एवं अभिभावकों का बच्चों के अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी में भूमिका के बारे में समझ विकसित करना।
   ii. अभिभावकों द्वारा बच्चों के लालन–पालन से संबंधित मुख्य बिंदुओं की समझ विकसित करना।
2. अनुश्रवण
   अभिभावकों द्वारा बच्चों के अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी का अनुश्रवण

1. अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी

i. अभिभावकों द्वारा अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी में भूमिका

मुख्य विषय : अधिगम को किस प्रकार घर पर सहयोग करेंगे।

उद्देश्य : घर पर छात्रों को सीखने के लिए समझ विकसित करना।

विधि : समूह चर्चा।

विषय की समझ : अभिभावक किस प्रकार घर पर बच्चों का अधिगम बढ़ाने में सपोर्ट कर सकते हैं। विद्यालय में छात्र मात्र 6 घंटा बिताते हैं। शेष समय बच्चें घर पर रहते हैं, तो अभिभावक का यह कर्तव्य बनता है कि अधिगम को बढ़ाने के लिए घर पर भी पढ़ने का माहौल बनाएं। बच्चों का सोशल इमोशनल लर्निंग बढ़े, बच्चों का शारीरिक विकास हो, बच्चे समय पर पढ़ने बैठ जाए, अपना गृह कार्य पूरा करे और गृह कार्य को भी प्रत्येक दिन अभिभावक देखें, बच्चों के अधिगम के लिए घर पर माहौल तैयार करना अति आवश्यक है। इसकी समझ आवश्यक है।

प्रक्रिया : घर के माहौल को ठीक करना पढ़ने का माहौल विकसित करना। घर में अन्य भाई बहनों के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करना, एक साथ बैठकर पढेंगे तो बिजली की बचत भी होगी। इन बातों पर प्रशिक्षक चर्चा करेंगे। चर्चा के उपरांत प्रतिभागियों से पूछेंगे कि किस प्रकार से आप लोग अपने बच्चों को घर पर मदद कर सकते हैं। उसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे।

ii. बच्चों के लालन-पालन से संबंधित चुनौतियां

मुख्य विषय : अभिभावकों के द्वारा बच्चों के लालन–पालन से संबंधित चुनौतियां

उद्देश्य : अभिभावकों द्वारा बच्चों के लालन–पालन से संबंधित मुख्य बिंदुओं की समझ विकसित करना

विधि : समूह चर्चा

विषय की समझ : अभिभावक को जीवन में बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें एक समस्या है बच्चों का लालन–पालन, जितना उम्मीद करते हैं कि वे अपने बच्चों को सभी सुविधा प्रदान करें, नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे कई कारण है, उनके पास समय का भारी अभाव है। उन्हें नौकरी पर, व्यवसाय पर, खेती पर जाना पड़ता है। बच्चों के लिए समय निकाल नहीं

पाते, यही बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उनको रोजी–रोटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। अभिभावक को रोजगार हेतु दूसरे राज्य जाना पड़ता है और अपने साथ बच्चों को ले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान सहना पड़ता है। कई अभिभावक पढ़े–लिखे नहीं हैं, वे समझते नहीं है कि पढ़ाई का क्या महत्व है और अपने बच्चों की पढ़ाई में सपोर्ट नहीं कर पाते। कई बच्चों का पोषण सही से नहीं हो पाता है। पोषण के अभाव में बच्चों में कई विकृतियां स्पष्ट दिखती है जो पढ़ाई पर असर डाल देती हैं। कई लोगों का व्यवहार बच्चों की पढ़ाई को नुकसान कर देता है। बच्चें भी अपनी अभिभावक की बात को सुनना पसंद नहीं करते, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है।

प्रक्रिया : प्रशिक्षक प्रतिभागियों की चार समूह में बांटेंगे। चारों समूहों में चार्ट पेपर और स्केच पेन देंगे। कहा जाएगा कि आपके बच्चों के पालन–पोषण में कौन–कौन सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं की एक लिस्ट बनाइए। प्रतिभागी आपस में चर्चा करेंगे। चर्चा के उपरांत चार्ट पेपर पर उन समस्याओं को लिखेंगे जैसे समय का अभाव, गरीबी, पलायन, अशिक्षा, पोषण की कमी, क्रोध करना, बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा बोझ, पलायन, बच्चों का काम पर जाना, बच्चों के लिये पेरेंट्स के पास समय का भारी अभाव होना, बच्चों से संवाद का नहीं होना, बच्चे का अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मानना, बच्चों में बहुत ज्यादा क्रोध होना, बच्चों का अपनी जिद्द मनवाना, बच्चों की अपनी नाराजगी का होना।

2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निगरानी एवं अनुश्रवण

मुख्य विषय : अभिभावकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निगरानी

उद्देश्य : अभिभावकों द्वारा बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निगरानी की समझ विकसित करना

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निगरानी भी आवश्यक है। निगरानी एवं अनुश्रवण निरंतर नीचे दी गई चेकलिस्ट का अनुसरण करके निगरानी कीजिये:

i. **छात्रों का नामांकन एवं उपस्थिति**: नयी शिक्षा नीति के अनुसार 5–18 वर्ष के बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति अनिवार्य है।

- **नामांकन:** विद्यालय प्रबंधन समिति को अपने पोषक क्षेत्र के 5–18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन एवं नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण विद्यालय प्रबंधन समिति का महत्वपूर्ण कार्य है। नामांकन की समझ बनाने हेतु प्रधानाध्यापक से ग्राम शिक्षा पंजी लाने को कहा जाए। विभिन्न गांव/टोले के 5–18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन की स्थिति को दिखाया जाए। यदि किसी बच्चे का नामांकन नहीं किया गया है तो सबसे पहले उस बच्चे के नामांकन कराने की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

- **उपस्थितिः** प्रधानाध्यापक से किसी एक कक्षा की उपस्थिति पंजी प्राप्त कर नामांकित बच्चों एवं उनकी उपस्थिति से संबंधित जानकारी दी जाए। निरंतर अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाए। उनकी अनुपस्थिति के संभावित कारणों पर विचार कर विद्यालय में वापस लाने के उपाय पर चर्चा की जाए।

यह कार्य केवल प्रशिक्षण का मुद्दा नहीं है अपितु सतत् निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य है। इसे प्रतिभागियों को समझाया जाना है।

ii. **छीजित बच्चों (OoSC) का नामांकन एवं उपस्थितिः**

सबसे पहले छीजन की समझ बनाया जाना है। ये वे बच्चे हैं, जो किसी कारण से विद्यालय नहीं आते हैं या वैसे बच्चे भी हो सकते हैं जो पछले 100 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं या कुछ समय के लिए बाहर चले गए एवं बाद में वापसी के बाद विद्यालय नहीं आ रहे हैं। पोषक क्षेत्र के छीजित बच्चों की पहचान करनी है। विद्यालय नहीं आने के कारणों का पता लगाना है। विद्यालय में अनुपस्थिति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता–पिता का आजीविका उपार्जन के लिए घर में अनुपस्थिति जिसके कारणवश बच्चे घर की देखभाल के लिए विवश हो जाते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए भी प्रावधान की कमी की वजह से विद्यालय जाना कठिन हो सकता है। अतः दिव्यांग बच्चों के लिए भी स्कूलों में प्रावधान होने चाहिए, ताकि उनकी शिक्षा भी पूरी हो।

इन कारणों के समाधान पर चर्चा की जानी है। प्रशिक्षण के बाद सतत् रूप से निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना हैः

प्रश्न 1. कितने छात्र नामांकित हैं और आज कितने छात्र उपस्थित हैं?
प्रश्न 2. अनुपस्थित छात्र कितने दिनों से अनुपस्थित हैं?
प्रश्न 3. क्या ड्रॉप–आउट छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं?
प्रश्न 4. क्या आपने किसी छात्र का पुनः नामांकन किया है?
प्रश्न 5. क्या ड्रॉप–आउट छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम है?
प्रश्न 6. अनुपस्थित छात्रों के घर उनसे मिलने कौन–कौन गये हैं?
प्रश्न 7. जीरो ड्रॉप आउट पंचायत के लिए आप किस प्रकार अपना सहयोग देंगे एवं आपको कार्य करने में किन–किन लोगों का सहयोग चाहिए?

iii. **फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN)**

आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पढ़ने, लिखने और गणित में बुनियादी कौशल को संदर्भित करता है। यह कक्षा 3 के अंत तक एक मूलभूत पाठ को पढ़ने और समझने एवं सरल गणितीय गणना करने की क्षमता को भी व्यक्त करता है। लेकिन आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता क्या है, और ये अन्य गणित के पाठ्य से कैसे अलग है? आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता उस कौशल तथा रणनीति को कहते हैं जिसके माध्यम से छात्र पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। वह सभी बच्चे जो कक्षा तीन तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने में सफल रहते हैं उन्हें आने वाली कक्षाओं के पाठयक्रम को पढ़ने में आसानी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया गया है। NIPUN Bharat (निपुण भारत) के माध्यम से आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मक को तीसरी कक्षा के छात्रों के अंतर्गत विकास किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में उनको शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी बाधा का सामना ना करना पड़े।

iv. **ज्ञानसेतुः** सभी नामांकित बच्चों का कक्षा के अनुरूप दक्षता प्राप्त करने, सीखने में समर्थ होने एवं विद्यालय आने में उनकी रूचि बनाने हेतु 'ज्ञान सेतु' कार्यक्रम की 2018 शुरुआत की गई थी। इसके अन्तर्गत बच्चों का अपने कक्षा स्तर से पीछे रह जाने के कारणों की पहचान की जाती है। साथ ही वैसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है जिनका वर्गानुसार वांछित अधिगम प्रतिफलों की संप्रप्ति नहीं है। वैसे बच्चों का उनकी दक्षता के अनुसार समूहीकरण किया जाता है। तय समूहों को उपलब्ध शिक्षकों के बीच अलग–अलग तरीकों से पढ़ाने के लिए आवंटित किया जाता है एवं बच्चों के अधिगम स्तर को निर्धारित करने के लिए उनका सतत् आकलन किया जाता है। ज्ञानसेतु उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए कार्यकम है।

निम्न सवालों के जरिये जानकारी प्राप्त एवं निरीक्षण किया जा सकता हैः

प्रश्न 1: क्या ज्ञान सेतु/एफ.एल.एन. (आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता) पाठ योजना स्कूल में तैयार की जाती है और उसका पालन किया जाता है ?
प्रश्न 2: स्कूल में एफ.एल.एन. कार्यक्रम चलाने के लिए क्या–क्या तैयारी की गई है?
प्रश्न 3: एफ.एल.एन. और ज्ञान सेतु किस बारे में है?
प्रश्न 4: एफ.एल.एन. कार्यक्रम में कितने छात्र हैं?
प्रश्न 5: स्कूल की आधारभूत संरचना जानकारी देने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल होती है?
प्रश्न 6: स्कूल में कितने छात्र ज्ञान सेतु का हिस्सा है?

v. **स्टूडेंट लर्निंगः** छात्र सीखने और अपने समग्र विकास के लिए स्कूल जाते हैं। प्रत्येक बच्चे की प्रगति को जानना महत्वपूर्ण है। शिक्षक पाठ योजनाएं बनाते हैं जो समग्र होती हैं और सभी विषयों को शामिल करती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पाठ योजना का पालन किया जाए। स्कूलों में गतिविधि आधारित शिक्षा भी महत्वपूर्ण है और शिक्षकों को इसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों को स्कूल के समय में कक्षा में उपस्थित रहना चाहिए और गैर–शैक्षणिक गतिविधियों में मुख्य रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों के सीखने का समय प्रभावित होता है।

निम्न सवालों के जरिये जानकारी प्राप्त एवं निरीक्षण किया जा सकता हैः

प्रश्न 1: माता–पिता ने कोविड–19 के दौरान बच्चों के सीखने के नुकसान को सुधारने के लिए क्या–क्या पहल की?
प्रश्न 2: क्या टाइम–टेबल तैयार किया गया है? और क्या इसका रोजाना पालन किया जाता है?
प्रश्न 3: आज कितने शिक्षक अनुपस्थित हैं? इनके द्वारा लिये जाने वाले क्लासेज कैसे चल रही हैं?
प्रश्न 4: क्या पाठ योजना का पालन किया जाता है?
प्रश्न 5: क्या बच्चों का मूल्यांकन लिया जाता है?
प्रश्न 6: टेस्ट के अनुसार जिन बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई आ रही है, उनकी किस प्रकार सहायता की जाती है?
प्रश्न 7: स्लो–लर्नर को किस प्रकार सहायता दी जाती है?
प्रश्न 8: कक्षा में पढ़ाने के लिए किन गतिविधियों का उपयोग किया जाता है?

सत्र-3

विद्यालय विकास योजना

मुख्य विषय : विद्यालय विकास योजना

उद्देश्य : विद्यालय विकास योजना के बारे में समझ विकसित करना

विधि : वीडियो फिल्म (सुविधा और सुप्रबंधन), समूह चर्चा

प्रक्रिया :

प्रशिक्षक फिल्म प्रदर्शित करेंगे – 2 वीडियो (सुविधा और सुप्रबंधन) – जो प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय संबंधित सुविधाओं और विद्यालय के प्रबंधन के विषय में जानकारी देंगे। फिल्म दिखाने के बाद प्रशिक्षक उनसे चर्चा कर सकता है, कि उन्होंने क्या–क्या देखा।

एसएमसी सदस्यों द्वारा निगरानी के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

1. विद्यालय तक पहुंच
2. आधारभूत संरचना एवं बाल सुविधाएं
3. अधिगम स्तर बढ़ाने के उपाय
4. स्कूल को अनुदान

उपरोक्त मापदंडों पर स्कूल के कामकाज की निगरानी और ट्रैक करना महत्वपूर्ण है। हर महीने की 25 तारीख को एसएमसी की बैठक के दौरान इन मानकों के अपडेट पर चर्चा की जानी चाहिए।

आइए एक–एक करके समझें कि ये मापदंड क्या हैं और हम बच्चों के अधिकतम लाभ के लिए अपने स्कूलों में उनकी निगरानी किस प्रकार कर सकते हैं।

1. विद्यालय अनुदान (Grant)

हर सरकारी विद्यालय में अनुदान का प्रावधान होता है। यह अनुदान सरकारी विद्यालय में कुल नामांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है, पत्रांक MRE/33/161/2018-19/1038 दिनांक 25/04/2022 के आधार पर लागू है। सरकारी स्कूल में जितने विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है,

स्कूल को उसके अनुसार अनुदान प्राप्त होगा। विद्यालय रख–रखाव के लिए फण्ड उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है। स्कूल को दिए जाने वाले कुल अनुदान का 10 प्रतिशत स्वच्छता उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना है।

नामांकन	अनुदान
1 –30	रू.10,000/–
30–100	रू.25,000/–
100–250	रू.50,000/–
250–1000	रू.75,000/–
1000 से अधिक	रू.1,00,000/–

निम्न सवालों के जरिये जानकारी प्राप्त एवं निरीक्षण किया जा सकता है:

प्रश्न 1: कितने छात्रों ने स्कूल में नामांकन लिया?
प्रश्न 2: विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कूल के लिए उपलब्ध कुल राशि में से कितना इस्तेमाल हुआ है?
प्रश्न 3: क्या सभी गतिविधियां अनुदान से की गई है?
प्रश्न 4: कौन–कौन सी गतिविधियां बाकी हैं और इसे पूरा करने के लिए इस साल की क्या योजनाएं हैं?
प्रश्न 5: पिछले वर्ष में कितनी राशि का उपयोग किया गया था?
प्रश्न 6: विद्यालय में स्वच्छता के लिए क्या–क्या गतिविधियां की गईं? यदि कुछ नहीं किया गया है, तो इस संबंध में क्या योजना है इस साल के लिए?
प्रश्न 7: सैनिटेशन के लिए स्कूल में किस प्रकार की व्यवस्था है?
प्रश्न 8: स्कूल अनुदान के लिए प्रतिशत का उपयोग सैनिटेशन काम के लिए उपयोग होता है?

2. बाल देय सुविधाएं (Child Entitlements)

सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। बाल देय सुविधाओं के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क पोषाक, पाठय–पुस्तक, विद्यालय किट, मध्याह्न भोजन आदि की सुविधाएं देय है। पोशाक की उपलब्धता तीन माध्यमों से की जा रही है – स्वयं सहायता समूह, डी.बी.टी. एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (केवल कक्षा 1 एवं 2 के लिए जिनका बैंक खाता नहीं खुला है)।

इसके अलावा बच्चों को स्कूल किट भी देने का प्रावधान है। 05.03.2019 में राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या 378 जारी की गई थी, जिसके अनुसार स्कूल किट में – स्कूल बैग, कॉपी, पेन–पेन्सिल, रबड़, कटर तथा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स (केवल कक्षा 3 से 8 के लिए) उपलब्ध कराये जाते हैं। स्कूल किट के अंतर्गत मिलने वाले स्कूल बैग प्रत्येक दो वर्ष में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। शेष सभी सामग्री के लिए राज्य सरकार से राशि की उपलब्धता होते ही उसे विद्यालय प्रबंधन समिति को उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से विद्यालय किट की शेष सामग्रियां विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जाती है। सत्रारंभ में ही सभी बच्चों को पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराने के दिशा–निर्देश हैं।

निम्न सवालों के जरिये जानकारी प्राप्त एवं निरीक्षण किया जा सकता है:

प्रश्न 1:	कितने छात्रों को स्कूल में ड्रेस मिली है?
प्रश्न 2:	जिन छात्रों को ड्रेस नहीं मिली है, उन्हें ड्रेस कब दी जाएगी?
प्रश्न 3:	क्या छात्रों को किताबें समय पर दी गई हैं?
प्रश्न 4:	कितने बच्चों ने स्कूल किट की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से प्राप्त की? कितने छात्रों को स्कूल किट नहीं मिली है? उन्हें कब दी जाएगी?
प्रश्न 5:	कितने प्रतिशत बच्चों ने पोशाक डी.बी.टी. के माध्यम से प्राप्त की?
प्रश्न 6:	डी.बी.टी. के फंड्स से बच्चे क्या–क्या सामान खरीदते हैं?

विद्यालय विकास योजना

प्रशिक्षक विद्यालय विकास योजना का प्रदर्शन करने और इसके पश्चात् प्रतिभागियों को चार समूह में विभाजित करके उनको विद्यालय विकास योजना बनाकर प्रदर्शित करना होगा।

विद्यालय के विकास के लिए गतिविधियों को यदि ग्राम पंचायत द्वारा अपनाया जाए, तो इससे विकास का काम उत्कृष्ट तरीके से किया जा सकता है।

निम्न गतिविधियों को ग्राम पंचायत योजना में शामिल कराया जा सकता है:

क्र. सं.	सुविधाएं	उपलब्धता	आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	विद्यालय के कमरे (वर्ग कक्ष) और कमरों की संख्या			
2	कार्यालय भवन			
3	प्रधानाध्यापक कक्ष			
4	कक्षा में ब्लैक बोर्ड			
5	बच्चों के लिए बेंच एवं डेस्क			
6	सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था			
7	हाथ धोने की इकाई			
8	पानी के भंडारण और पाइप से पानी की आपूर्ति के लिए टैंक			
9	लड़कों के लिए मूत्रालय के साथ शौचालय			
10	लड़कियों के लिए अलग शौचालय			
11	लड़कियों के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन			
12	सैनिटरी नैपकिन के निपटान के लिए भस्मक			
13	दिव्यांग के लिए शौचालय			
14	दिव्यांग शौचालय के लिए रैंप और रेलिंग			
15	बिजली की व्यवस्था एवं आवश्यक उपकरण			
16	विद्यालय में रसोईघर			
17	विद्यालय में गैस कनेक्शन			
18	विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष			
19	प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण			
20	विद्यालय में चारदीवारी / घेरा			

क्र. सं.	सुविधाएं	उपलब्धता	आवश्यकता	अभ्युक्ति
21	तड़ित चालक			
22	अग्निशामक व्यवस्था			
23	स्कूल जाने का रास्ता– कच्चा/पक्का			
24	खेल का मैदान			
25	प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था			
26	स्कूल द्वारा बनाया गया किचन गार्डन			
27	इंटरनेट सुविधाएं			
28	स्कूल के दरवाजों, खिड़कियों की मरम्मत			
29	स्कूल में मुख्य द्वार			

भोजनावकाश

सत्र–4

विद्यालय विकास योजना

मुख्य विषय : विद्यालय विकास योजना का अभ्यास

उद्देश्य : विद्यालय विकास योजना बनाने का अभ्यास करना

सामग्री : विद्यालय विकास योजना का प्रारूप

गतिविधि : प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय विकास योजना का प्रारूप वितरित करेंगे और उनको छोटे समूह में बैठा देंगे।

फिर प्रशिक्षक एक बार विद्यालय विकास योजना के प्रारूप को पढ़कर सबको सुना देंगे जिसके पर्यन्त प्रतिभागी अपने–अपने समूह में विद्यालय विकास योजना के प्रारूप को भरने का अभ्यास करेंगे।

जहां तक हो सके उनको सही जानकारी देनी चाहिए।

अंत में सभी समूह अपने विकास योजना का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

सत्र-5

विद्यालय प्रबंधन समिति की अन्य जिम्मेदारी

मुख्य विषय : विद्यालय प्रबंधन समिति की अन्य जिम्मेदारी को जानना।

उद्देश्य : विद्यालय प्रबंधन समिति की बाल सुरक्षा और स्वास्थ्य आदि विषयों पर जिम्मेदारी की समझ बनाना।

विधि : वीडियो का प्रदर्शन – सुरक्षा, स्वास्थ्य और कोविड

गतिविधि : प्रशिक्षक एक–एक करके तीन (3) वीडियो का प्रदर्शन करेंगे। ये वीडियो सुरक्षा, स्वास्थ्य और कोविड से बचने का बारे में हैं। प्रशिक्षक वीडियो प्रदर्शन के संदर्भ की सभी सावधानियों को बरतेंगे जो पिछले सत्रों में वीडियो प्रदर्शन के बारे में बताया गया था। हर वीडियो दिखाने के बाद प्रशिक्षक वीडियो से संबंधित चर्चा करेंगे और सवाल पूछकर देखेंगे कि लोगों ने विषय को समझा है कि नहीं।

सुरक्षा सत्र

- छात्रों के लिए सुरक्षा के बारे में आप लोग क्या समझते हैं?
- समिति सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकती है?

स्वास्थ्य सत्र

- फिल्म मे स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। आप लोग स्वास्थ्य से क्या समझते हैं?
- समिति स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या उपाय कर सकती है?
- समिति लड़कियों के मासिक धर्म में स्वच्छता के लिए क्या कदम उठा सकती है? छात्रों के पोषण में सुधार करने में विद्यालय प्रबंधन समिति की क्या भूमिका है?
- COVID के कारण छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को कौन से कदम लेने चाहिए?

स्कूल खुलने के लिए सत्र

- COVID ने बच्चों पर क्या असर किया है?
- COVID के डर से अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेजने से हिचकिचा सकते हैं। उनके डर से निपटने के लिए समिति क्या कदम उठा सकती है?
- विद्यालय में पुनः नामांकन से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? उनसे निपटने के लिए समिति क्या कर सकती है?
- विद्यालय में किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए?

सत्र-6

खुला सत्र

i. **प्रतिभागियों के मन में उठे सवालों या सुझावों को लेना।**

ii. **दिनभर के चर्चा को पुनः स्मरित करना।**

iii. **कार्य योजना (Action Plan) तैयार करना।**

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र

प्रशिक्षण स्थलः ..... **प्रशिक्षण अवधिः** .....

1. प्रतिभागी विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम? : .....
2. विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्यों की संख्याः .....

   (क) महिला सदस्यः .....

   (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्यः .....

   (ग) सामान्य वर्ग के सदस्यः .....
3. आपकी समिति का गठन कैसे हुआः

   प्रधानाध्यापक द्वाराः .....

   प्रशिक्षक द्वारा/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/कोई बाह्य व्यक्ति द्वाराः .....

   .....

   आम सभा द्वाराः .....
4. बच्चों के शिक्षा का अधिकार (अधिनियम) एवं नई शिक्षा नीति के विषय में आप क्या जानते हैं?

   .....

   .....
5. विद्यालय प्रबंधन समिति में आपका कार्य एवं दायित्व क्या हैं?

   .....

   .....
6. इस प्रशिक्षण से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?

   .....

   .....

   .....

प्रतिभागी का हस्ताक्षर

विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों का प्रशिक्षणोपरांत मूल्यांकन प्रपत्र

1. प्रतिभागी सदस्य का नाम :.....
2. समिति का नाम एवं पता :.....
3. प्रशिक्षण केन्द्र का नाम एवं पता :.....
4. दिनांक .....
5. इस प्रशिक्षण से आपको क्या नई जानकारी प्राप्त हुई?

   .....

   .....

   .....
6. समिति के कार्यों को पूरा कराने में आप कितना समय दे सकते हैं?

   .....

   .....

   .....
7. आप विद्यालय में बच्चों की शिक्षा हेतु किस प्रकार का सुधार करना चाहेंगे?

   .....

   .....

   .....
8. बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव।

   .....

   .....

   .....

प्रतिभागी का हस्ताक्षर

प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करने वाले सहायक विशेषज्ञ

विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण हेतु संशोधित प्रस्तुत मॉड्यूल को वर्तमान स्वरूप देने में राज्य परियोजना निदेशक के मार्गदर्शन के अनुसार राज्य परियोजना कार्यालय एवं गैर सरकारी संस्थानों के निम्नलिखित पदाधिकारियों की अहम् भूमिका हैः

क्र.सं.	विशेषज्ञों के नाम	पदनाम
1	श्री प्रदीप कुमार चौबे	उप–निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी.
2	श्रीमती ममता एलिजाबेथ लकड़ा	राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
3	श्रीमती पारूल शर्मा	विशेषज्ञ, शिक्षा, यूनिसेफ, झारखण्ड
4	श्री दानिश खान	विशेषज्ञ, एस.बी.सी., यूनिसेफ, झारखण्ड
5	श्री नरेन्द्र सांडिल्य	सलाहकार, बी.सी.जी.
6	श्री हर्ष वर्मा	सलाहकार, यूनिसेफ, झारखण्ड
7	श्री आर.के.पी. गुप्ता	सलाहकार, जे.सी.ई.आर.टी.
8	डॉ. डी.एन. सिंह	एस.आर.जी., जे.एस.ई.आर.टी.
9	सुश्री आदरिका	प्रतिनिधि, पीरामल फाउन्डेशन
10	श्री अंकेश कुमार पाठक	प्रतिनिधि, पीरामल फाउन्डेशन

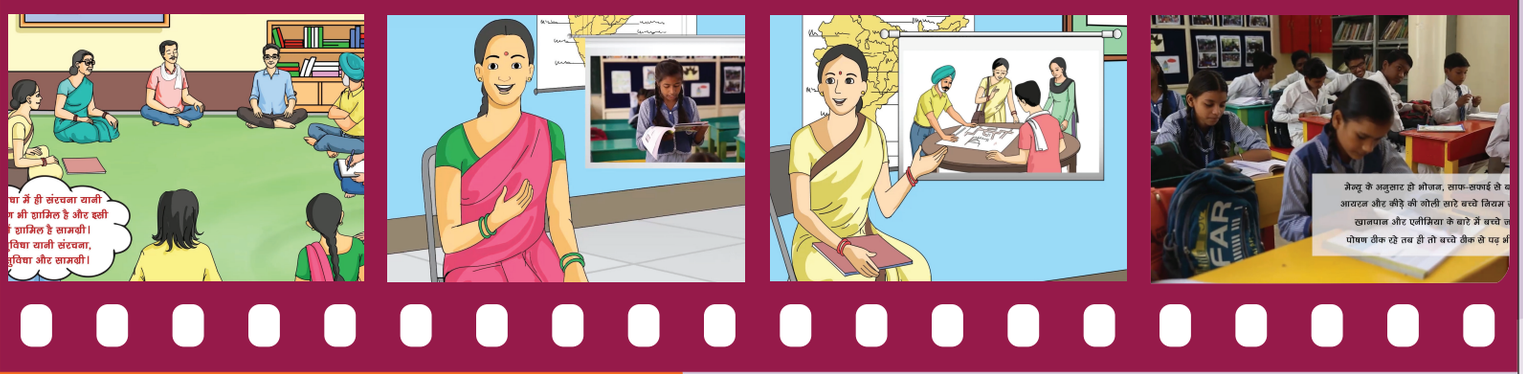

में ही संरचना यानी
भी शामिल है और इसी
शामिल है सामग्री।
यानी संरचना,
और सामग्री।

मेन्यू के अनुसार हो भोजन, साफ-सफाई से
आयरन और कीड़े की गोली सारे बच्चे नियम
खानपान और एनीमिया के बारे में बच्चे
पोषण ठीक रहे तब ही तो बच्चे ठीक से पढ़